प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/Blood Ser./fund transfer/ 2018–19/6769-75 दिनांकः 20/9/18

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के रक्तकोषों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि आवंटन एवं दिशा–निर्देश के संबन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 वर्ष 2018–19 में ब्लड सर्विसेज हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या **2.1.3.1, 5.3.3, 6.1.3.2.b, 6.2.7.2, 11.10.1** एवं **17.4** पर रक्तकोषों एवं रक्त भण्डारण केन्द्रों के विभिन्न गतिविधियों क्रमशः बी0सी0टी0वी0 रेकरिंग, ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज यूनिट रेकरिंग हेतु, उपकरण AMC/CMC, Calibration & Maintenance हेतु, किट्स एवं ब्लड बैग्स हेतु, स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन एवं परामर्शदाताओ तथा पी0आर0ओ0 के आउटरिच भ्रमण व संचार भत्ता हेतु, ई–रक्तकोष हेतु इंटरनेट के लिए धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. उपरोक्त के अन्तर्गत रक्तकोषों एवं रक्त भण्डारण केन्द्रों को निम्न तलिकानुसार **रू0 1641.16 लाख** व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं डैप के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा–

Amt in Rs.

Sl. No.	Name of District	BCTV Recurring (POL & other) FMR code 2.1.3.1	Drug & Consumable Support (Blood Bangs & Kits) FMR Code no. 6.2.7.2	Budget for VBD Camp to Blood Banks FMR Code no. 11.10.1 @ Rs. 2500/camps	Budget for Travel & communication expenses (fix) Rs. 1500/month for counselors & Rs. 1000/month for PRO BCTV FMR Code no. 11.10.1	E-rakt Kosh internet connectivity FMR Code no. 17.4	Equipment Maintenance (AMC/CMC & caliberation) FMR code 6.1.3.2.b @ Rs. 4.5 BCSUs & Rs. 2.5 lacs for Non BCSU blood banks	Blood Bank recurring (glass ware, reagents, office expences etc.) FMR code 5.3.3 @ Rs. 4.00 Lacs for BCSU & Rs. Rs. 2.00 Lacs Non BCSU blood banks	Budget allocation for free Blood to in house patient under govt. hospital/medical coleege FMR code 5.3.3	Blood storage recurring FMR code 5.3.3 @ Rs. 50,000/ BSU	Total Amount Release to District
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Agra	660000	720549	65000	48000	24000	900000	800000	428640	0	**3646189**
2	Aligarh	660000	2851644	195000	48000	24000	900000	800000	2418560	150000	**8047204**
3	Allahabad	660000	2108236	142500	66000	36000	1350000	1200000	1990560	100000	**7653296**
4	Ambedkarnagar	0	147114	25000	36000	24000	500000	400000	182080	100000	**1414194**
5	Amethi (CSM Nagar)	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	**100000**
6	Amroha	0	105423	12500	18000	12000	250000	200000	130480	0	**728403**
7	Auraiya	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	**18000**
8	Azamgarh	660000	1382487	92500	30000	12000	450000	400000	1157360	200000	**4384347**
9	Baghpat	0	70713	12500	18000	12000	250000	200000	87520	100000	**750733**
10	Bahraich	0	695306	47500	18000	12000	450000	400000	528400	50000	**2201206**
11	Ballia	0	169219	20000	18000	12000	250000	200000	209440	50000	**928659**
12	Balrampur	0	140908	15000	18000	12000	250000	200000	174400	150000	**960308**
13	Banda	660000	97990	12500	30000	12000	450000	400000	139440	0	**1801930**
14	Barabanki	0	189257	22500	18000	12000	250000	200000	234240	150000	**1075997**

Sl. No.	Name of District	BCTV Recurring (POL & other) FMR code 2.1.3.1	Drug & Consumable Support (Blood Bangs & Kits) FMR Code no. 6.2.7.2	Budget for VBD Camp to Blood Banks FMR Code no. 11.10.1 @ Rs. 2500/camps	Budget for Travel & communication expenses (fix) Rs. 1500/month for counselors & Rs. 1000/month for PRO BCTV FMR Code no. 11.10.1	E-rakt Kosh internet connectivity FMR Code no. 17.4	Equipment Maintenance (AMC/CMC & caliberation) FMR code 6.1.3.2.b @ Rs. 4.5 BCSUs & Rs. 2.5 lacs for Non BCSU blood banks	Blood Bank recurring (glass ware, reagents, office expences etc.) FMR code 5.3.3 @ Rs. 4.00 Lacs for BCSU & Rs. Rs. 2.00 Lacs Non BCSU blood banks	Budget allocation for free Blood to in house patient under govt. hospital/medical coleege FMR code 5.3.3	Blood storage recurring FMR code 5.3.3 @ Rs. 50,000/ BSU	Total Amount Release to District
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Bareilly	660000	127399	20000	30000	12000	450000	400000	181360	50000	**1930759**
16	Basti	660000	170808	45000	48000	24000	700000	600000	191120	50000	**2488928**
17	Bijnour	0	231853	27500	18000	12000	250000	200000	286960	50000	**1076313**
18	Badaun	0	154224	17500	18000	12000	250000	200000	190880	50000	**892604**
19	Bulandshahr	0	177428	20000	18000	12000	250000	200000	219600	150000	**1047028**
20	Chandauli	0	93982	12500	18000	12000	250000	200000	116320	150000	**852802**
21	Chitrakoot	0	17969	12500	18000	12000	250000	200000	22240	0	**532709**
22	Deoria	0	218279	25000	18000	12000	250000	200000	270160	50000	**1043439**
23	Etah	0	62504	12500	18000	12000	250000	200000	77360	0	**632364**
24	Etawah	0	1263028	90000	36000	24000	700000	600000	1128240	100000	**3941268**
25	Faizabad	660000	825961	55000	30000	12000	450000	400000	608560	200000	**3241521**
26	Farrukhabad	0	294033	32500	18000	12000	250000	200000	363920	50000	**1220453**
27	Fatehpur	0	64508	12500	18000	12000	250000	200000	79840	150000	**786848**
28	Firozabad	0	86290	12500	18000	12000	250000	200000	106800	150000	**835590**
29	Gautambudh Nagar	0	188158	27500	18000	24000	250000	400000	232880	150000	**1290538**
30	Ghaziabad	0	441690	37500	18000	12000	450000	400000	329040	100000	**1788230**
31	Ghazipur	0	94241	12500	18000	12000	250000	200000	116640	50000	**753381**
32	Gonda	660000	328162	37500	30000	12000	450000	400000	366080	50000	**2333742**
33	Gorakhpur	660000	712748	70000	48000	24000	900000	800000	506720	100000	**3821468**
34	Hamirpur	0	52679	32500	18000	12000	250000	200000	65200	0	**630379**
35	Hapur	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	**50000**
36	Hardoi	0	286794	32500	18000	12000	250000	200000	354960	100000	**1254254**
37	Hathras	0	81249	12500	18000	12000	250000	200000	100560	50000	**724309**
38	Jalaun	0	13768	20000	18000	12000	250000	400000	17040	0	**730808**
39	Jaunpur	0	359446	40000	18000	12000	250000	200000	444880	200000	**1524326**
40	Jhansi	660000	513939	52500	48000	24000	900000	800000	461520	50000	**3509959**
41	Kannauj	0	40721	40000	36000	24000	500000	400000	50400	0	**1091121**
42	Kanpur Dehat	0	32318	7500	18000	12000	250000	200000	40000	100000	**659818**
43	Kanpur Nagar	660000	3440868	237500	48000	24000	1150000	1000000	3323520	250000	**10133888**
44	Kasganj	0	22817	12500	18000	12000	250000	200000	28240	0	**543557**
45	Kaushambi	0	68709	12500	18000	12000	250000	200000	85040	50000	**696249**
46	Kushinagar	0	47379	37500	18000	12000	250000	200000	405280	0	**970159**
47	Khiri	0	327451	12500	18000	12000	250000	200000	58640	50000	**928591**
48	Lalitpur	0	272832	30000	18000	12000	250000	200000	337680	50000	**1170512**
49	Lucknow	660000	10004647	927500	102000	60000	2250000	2000000	12827040	600000	**29431187**
50	Maharajganj	0	65994	12500	18000	12000	250000	200000	81680	0	**640174**
51	Mahoba	0	23399	12500	18000	12000	250000	200000	28960	50000	**594859**
52	Mainpuri	0	108719	12500	18000	12000	250000	200000	134560	50000	**785779**
53	Mathura	0	336928	32500	18000	12000	450000	400000	232400	100000	**1581828**
54	Mau	0	54230	12500	18000	12000	250000	200000	67120	50000	**663850**
55	Meerut	660000	1932817	147500	48000	24000	900000	800000	1589280	150000	**6251597**
56	Mirzapur	660000	264342	32500	30000	12000	450000	400000	192080	50000	**2090922**

Sl. No.	Name of District	BCTV Recurring (POL & other) FMR code 2.1.3.1	Drug & Consumable Support (Blood Bangs & Kits) FMR Code no. 6.2.7.2	Budget for VBD Camp to Blood Banks FMR Code no. 11.10.1 @ Rs. 2500/camps	Budget for Travel & communication expenses (fix) Rs. 1500/month for counselors & Rs. 1000/month for PRO BCTV FMR Code no. 11.10.1	E-rakt Kosh internet connectivity FMR Code no. 17.4	Equipment Maintenance (AMC/CMC & caliberation) FMR code 6.1.3.2.b @ Rs. 4.5 BCSUs & Rs. 2.5 lacs for Non BCSU blood banks	Blood Bank recurring (glass ware, reagents, office expences etc.) FMR code 5.3.3 @ Rs. 4.00 Lacs for BCSU & Rs. Rs. 2.00 Lacs Non BCSU blood banks	Budget allocation for free Blood to in house patient under govt. hospital/medical coleege FMR code 5.3.3	Blood storage recurring FMR code 5.3.3 @ Rs. 50,000/ BSU	Total Amount Release to District
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Moradabad	660000	464332	32500	30000	12000	450000	400000	343440	50000	**2442272**
58	Muzaffarnagar	0	1757550	117500	18000	12000	450000	400000	668640	50000	**3473690**
59	Pilibhit	0	145821	17500	18000	12000	250000	200000	180480	50000	**873801**
60	Pratapgarh	0	151703	17500	18000	12000	250000	200000	187760	150000	**986963**
61	Raebareilly	0	539653	60000	18000	12000	250000	200000	667920	50000	**1797573**
62	Rampur	0	266756	30000	18000	12000	250000	200000	330160	0	**1106916**
63	Saharanpur	660000	628815	45000	30000	12000	450000	600000	391200	50000	**2867015**
64	Sambhal	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	**50000**
65	Sant Kabir Nagar	0	68515	12500	18000	12000	250000	200000	84800	100000	**745815**
66	SRN (Bhadohi)	0	24433	12500	18000	12000	250000	200000	30240	0	**547173**
67	Shahjahanpur	0	371274	42500	18000	12000	450000	400000	466960	50000	**1810734**
68	Shamli	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	**50000**
69	Shrawasti	0	8338	7500	18000	12000	250000	200000	10320	50000	**556158**
70	Siddharthnagar	0	145562	17500	18000	12000	250000	200000	180160	50000	**873222**
71	Sitapur	0	211039	25000	18000	12000	250000	200000	261200	50000	**1027239**
72	Sonbhadra	0	284919	32500	18000	12000	250000	200000	352640	50000	**1200059**
73	Sultanpur	0	759333	52500	18000	12000	450000	400000	583680	50000	**2325513**
74	Unnao	0	59143	12500	18000	12000	250000	200000	73200	50000	**674843**
75	Varanasi	660000	3328657	252500	66000	36000	1350000	1200000	2785280	150000	**9828437**
Total		**11880000**	**41800000**	**3800000**	**1818000**	**1068000**	**30050000**	**26200000**	**41600000**	**5900000**	**164116000**

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका अनुसार विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से सम्बन्धित मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान को प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यक्रम सन्चालन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत है–

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 2.1.3.1– (बी0सी0टी0वी0 पी0ओ0एल0 एवं रेकरिंग)** के अन्तर्गत बी0सी0टी0वी0 पी0ओ0एल0 रू0 37,500/माह एवं रेकरिंग रू0 2500/माह तथा बी0सी0टी0वी0 पर कार्यरत मानव संसाधन के जनपद से बाहर के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में प्रतिभागिता हेतु (MO @ 350/ camp+LT & PRO @ 150/camp +LA & Driver @ 100/camp for 15 camp in a month) डी0ए0 आदि हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांर्स्पोटेशन वैन के वार्षिक बीमा हेतु आवश्यक धनराशि बी0सी0टी0वी0 पी0आ0ए0एल0 मद से ही आवश्यकतानुसार व्यय किया जाना है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 5.3.3– (ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज यूनिट रेकरिंग तथा निःशुल्क रक्त की उपलब्धता हेतु)** – प्रदेश के प्रत्येक जिला एवं संयुक्त चिकित्सालय के रक्तकोष एवं चिकित्सा संस्थान के रक्तकोष को जिला/संयुक्त चिकित्सालय व चिकित्सा संस्थान में भर्ती मरीजों को रक्त की निःशुल्क उपलब्धता हेतु प्रोसेसिंग चार्जेज को निःशुल्क करते हुए आवश्यक धनराशि रक्तकोष को आवंटित की जा

रही है। निजी/ चैरीटेबल चिकित्सालय में भर्ती मरीजों हेतु प्रोसेसिंग चार्जेज पूर्ववत शासनादेश अनुरूप लागू होगा।

उक्त रेंकरिंग के अतिरिक्त रक्तकोष एवं बी0एस0यू0 की आवश्यकतानुसार केमिकल्स, रीजेन्ट, ग्लासवेयर, स्टेशनरी आदि एवं रक्तकोष में कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर राज्य स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक, प्रशिक्षण आदि में प्रतिभागिता की दशा में प्राप्त निर्देशानुसार प्रतिभागियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 का भुगतान तथा BSU द्वारा मदर ब्लड बैंक से रक्त यूनिट लाने हेतु व्यय का भुगतान भी किया जाना है।

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 6.1.3.2.b– (उपकरण AMC/CMC, Calibration & Maintenance हेतु)** के अन्तर्गत उपकरणों के ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 एवं कैलीब्रेशन तथा उपकरण मेनटेनैन्स हेतु स्वीकृत धनराशि (रक्त अवयव पृथकीकरण इकाई (बी0सी0एस0यू0) युक्त क्रियाशील राजकीय रक्तकोषों को रु0 4.5 लाख प्रति बी0सी0एस0यू0 की दर से एवं अन्य क्रियाशील राजकीय रक्तकोषों को रु0 2.5 लाख प्रति रक्तकोष की दर से) धनराशि का आवंटन किया गया हे। जिसके अन्तर्गत वारंटी के अंतर्गत आच्छादित उपकरणों के अतिरिक्त तथा पूर्व अनुबंध की अवधि समाप्ति के पश्च्यात उपकरणों का रख–रखाव सम्पादित कराया जाय साथ ही अनुबंधित की जा रही फर्म को तीन किस्तों में धनराशि (प्रथम अनुबंध के समय 50%, द्वितीय 06 माह की संतोषजनक सेवाओं की प्राप्ति पर 25% तथा तृतीय अनुबंध पूर्ण होने पर 25%) प्रदत्त करायी जाय।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 6.2.7.2– (किट्स एवं ब्लड बैग्स हेतु)** के अन्तर्गत ब्लड बैग व डॉयग्नोस्टिक किट का क्रय राज्य क्रय नियमानुसार/संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के अनुसार किया जायेगा। जिस हेतु अवमुक्त धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को स्थानान्तरित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 11.10.1– (स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन एवं परामर्शदाताओ तथा पी0आर0ओ0 के आउटरिच भ्रमण व संचार भत्ता हेतु)** के अन्तर्गत (स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन एवं परामर्शदाताओ तथा पी0आर0ओ0 के आउटरीच भ्रमण व संचार भत्ता हेतु) स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के आयोजन एवं प्रोत्साहन हेतु स्वयं सेवी संस्था /शिक्षण संस्थान / विभागीय कार्यालय आदि में सम्पर्क हेतु ब्लड बैंक परामर्शदाता हेतु प्रतिमाह अनिवार्यतः 12 भ्रमण एवं संचार हेतु रू0 1500/माह तथा पी0आर0ओ0 बी0सी0टी0वी0 को अपने मण्डलीय जनपद के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों के राजकीय रक्तकोष में प्रति रक्तकोष प्रतिमाह एक भ्रमण कर रक्तकोष के परामर्शदाता एवं स्वैच्छिक संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ रक्तदान शिविर के आयोजन एवं प्रोत्साहन हेतु बैठक ,जनपदीय विभागीय अधिकारियों से ब्लड बैंक परामर्शदाता के साथ सम्पर्क आदि हेतु रू0 1000/माह अनुमन्य है। रक्तकोष परामर्शदाता एवं पी0आर0ओ0 द्वारा प्रतिमाह एडवांस भ्रमण योजना तैयार कर प्रभारी से प्रमाणित कराते हुए तथा माह के अन्त में वास्तविक भ्रमण सूचना तैयार कर प्रभारी से सत्यापित कराकर स्टेट ब्लड सेल तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही यूपीसैक द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के लक्ष्य अनुरूप आयोजन हेतु प्रदत्त बजट के अतिरिक्त आयोजित किये जा रहे स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु रु 2500 प्रति शिविर की दर से (न्यूनत 40 यूनिट रक्त संग्रहण की दशा में 01 शिविर मान्य होगा) देय होगा।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 17.4 – (ई–रक्तकोष हेतु इंटरनेट के लिए)** के अन्तर्गत रक्तकोष को रु 1,000.00 की दर से धनराशि ई–रक्तकोष के संचालन एवं दैनिक रिपोर्टिंग के लिए इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने हेतु उपलब्ध करायी जा रही है उक्त धनराशि ई रक्त कोष के संचालंन की दशा में ही व्यय की जानी है।

3. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि स्वीकृत की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि स्वीकृत की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

4. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
7. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
8. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
9. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रक्रिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
11. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
12. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से शत–प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/Blood Ser./fund transfer/ 2018-19/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षां, लखनऊ, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अवमुक्त की गयी धनराशि को व्यय करने हेतु जनपदों को दिशा–निर्देश प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. कुलपति/प्रधानाचार्य/निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सम्बंधित चिकित्सा संस्थान जिला चिकित्सालय को एस आशय से कि सम्बंधित को मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर बजट का

स्थानांतरण सुनिश्चित करते हुये सम्बंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

5. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक,उपचार,स्वास्थ्य महानिदेशालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवमुक्त की गयी धनराशि को व्यय करने हेतु जनपदों को दिशा–निर्देश प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश।
9. समस्त रक्तकोष प्रभारी, राजकीय ब्लड बैंक, उ0प्र0।
10. महाप्रबन्धक,एम0आई0एस0,एस0पी0एम0यू0,एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, ब्लड सेल

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

सेवा मे,

समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
उ0प्र0।

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/Blood Ser./fund transfer/ 2018–19/ दिनांक: 20/9/18

विषय : राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रदेश के रक्तकोषों के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2018–19 में विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि आवंटन एवं दिशा–निर्देश के संबन्ध में।

महोदय/महोदया,

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा आर0ओ0पी0 वर्ष 2018–19 में ब्लड सर्विसेज हेतु एफ0एम0आर0 मद संख्या **2.1.3.1, 5.3.3, 6.1.3.2.b, 6.2.7.2, 11.10.1** एवं **17.4** पर रक्तकोषों एवं रक्त भण्डारण केन्द्रों के विभिन्न गतिविधियों क्रमशः बी0सी0टी0वी0 रेकरिंग, ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज यूनिट रेकरिंग हेतु, उपकरण AMC/CMC, Calibration & Maintenance हेतु, किट्स एवं ब्लड बैग्स हेतु, स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन एवं परामर्शदाताओ तथा पी0आर0ओ0 के आउटरिच भ्रमण व संचार भत्ता हेतु, ई–रक्तकोष हेतु इंटरनेट के लिए धनराशि का अनुमोदन प्रदान किया गया है।

2. उपरोक्त के अन्तर्गत रक्तकोषों एवं रक्त भण्डारण केन्द्रों को निम्न तलिकानुसार **रू0 1641.16 लाख** व्यय किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। उक्त धनराशि का व्यय जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा एवं डैप के सापेक्ष व्यय विवरण प्रेषित किया जायेगा–

Amt in Rs.

Sl. No.	Name of District	BCTV Recurring (POL & other) FMR code 2.1.3.1	Drug & Consumable Support (Blood Bangs & Kits) FMR Code no. 6.2.7.2	Budget for VBD Camp to Blood Banks FMR Code no. 11.10.1 @ Rs. 2500/camps	Budget for Travel & communication expenses (fix) Rs. 1500/month for counselors & Rs. 1000/month for PRO BCTV FMR Code no. 11.10.1	E-rakt Kosh internet connectivity FMR Code no. 17.4	Equipment Maintenance (AMC/CMC & caliberation) FMR code 6.1.3.2.b @ Rs. 4.5 BCSUs & Rs. 2.5 lacs for Non BCSU blood banks	Blood Bank recurring (glass ware, reagents, office expences etc.) FMR code 5.3.3 @ Rs. 4.00 Lacs for BCSU & Rs. Rs. 2.00 Lacs Non BCSU blood banks	Budget allocation for free Blood to in house patient under govt. hospital/medical coleege FMR code 5.3.3	Blood storage recurring FMR code 5.3.3 @ Rs. 50,000/ BSU	Total Amount Release to District
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Agra	660000	720549	65000	48000	24000	900000	800000	428640	0	**3646189**
2	Aligarh	660000	2851644	195000	48000	24000	900000	800000	2418560	150000	**8047204**
3	Allahabad	660000	2108236	142500	66000	36000	1350000	1200000	1990560	100000	**7653296**
4	Ambedkarnagar	0	147114	25000	36000	24000	500000	400000	182080	100000	**1414194**
5	Amethi (CSM Nagar)	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	**100000**
6	Amroha	0	105423	12500	18000	12000	250000	200000	130480	0	**728403**
7	Auraiya	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	**18000**
8	Azamgarh	660000	1382487	92500	30000	12000	450000	400000	1157360	200000	**4384347**
9	Baghpat	0	70713	12500	18000	12000	250000	200000	87520	100000	**750733**
10	Bahraich	0	695306	47500	18000	12000	450000	400000	528400	50000	**2201206**
11	Ballia	0	169219	20000	18000	12000	250000	200000	209440	50000	**928659**
12	Balrampur	0	140908	15000	18000	12000	250000	200000	174400	150000	**960308**
13	Banda	660000	97990	12500	30000	12000	450000	400000	139440	0	**1801930**
14	Barabanki	0	189257	22500	18000	12000	250000	200000	234240	150000	**1075997**

Sl. No.	Name of District	BCTV Recurring (POL & other) FMR code 2.1.3.1	Drug & Consumable Support (Blood Bangs & Kits) FMR Code no. 6.2.7.2	Budget for VBD Camp to Blood Banks FMR Code no. 11.10.1 @ Rs. 2500/camps	Budget for Travel & communication expenses (fix) Rs. 1500/month for counselors & Rs. 1000/month for PRO BCTV FMR Code no. 11.10.1	E-rakt Kosh internet connectivity FMR Code no. 17.4	Equipment Maintenance (AMC/CMC & caliberation) FMR code 6.1.3.2.b @ Rs. 4.5 BCSUs & Rs. 2.5 lacs for Non BCSU blood banks	Blood Bank recurring (glass ware, reagents, office expences etc.) FMR code 5.3.3 @ Rs. 4.00 Lacs for BCSU & Rs. Rs. 2.00 Lacs Non BCSU blood banks	Budget allocation for free Blood to in house patient under govt. hospital/medical coleege FMR code 5.3.3	Blood storage recurring FMR code 5.3.3 @ Rs. 50,000/ BSU	Total Amount Release to District
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Bareilly	660000	127399	20000	30000	12000	450000	400000	181360	50000	**1930759**
16	Basti	660000	170808	45000	48000	24000	700000	600000	191120	50000	**2488928**
17	Bijnour	0	231853	27500	18000	12000	250000	200000	286960	50000	**1076313**
18	Badaun	0	154224	17500	18000	12000	250000	200000	190880	50000	**892604**
19	Bulandshahr	0	177428	20000	18000	12000	250000	200000	219600	150000	**1047028**
20	Chandauli	0	93982	12500	18000	12000	250000	200000	116320	150000	**852802**
21	Chitrakoot	0	17969	12500	18000	12000	250000	200000	22240	0	**532709**
22	Deoria	0	218279	25000	18000	12000	250000	200000	270160	50000	**1043439**
23	Etah	0	62504	12500	18000	12000	250000	200000	77360	0	**632364**
24	Etawah	0	1263028	90000	36000	24000	700000	600000	1128240	100000	**3941268**
25	Faizabad	660000	825961	55000	30000	12000	450000	400000	608560	200000	**3241521**
26	Farrukhabad	0	294033	32500	18000	12000	250000	200000	363920	50000	**1220453**
27	Fatehpur	0	64508	12500	18000	12000	250000	200000	79840	150000	**786848**
28	Firozabad	0	86290	12500	18000	12000	250000	200000	106800	150000	**835590**
29	Gautambudh Nagar	0	188158	27500	18000	24000	250000	400000	232880	150000	**1290538**
30	Ghaziabad	0	441690	37500	18000	12000	450000	400000	329040	100000	**1788230**
31	Ghazipur	0	94241	12500	18000	12000	250000	200000	116640	50000	**753381**
32	Gonda	660000	328162	37500	30000	12000	450000	400000	366080	50000	**2333742**
33	Gorakhpur	660000	712748	70000	48000	24000	900000	800000	506720	100000	**3821468**
34	Hamirpur	0	52679	32500	18000	12000	250000	200000	65200	0	**630379**
35	Hapur	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	**50000**
36	Hardoi	0	286794	32500	18000	12000	250000	200000	354960	100000	**1254254**
37	Hathras	0	81249	12500	18000	12000	250000	200000	100560	50000	**724309**
38	Jalaun	0	13768	20000	18000	12000	250000	400000	17040	0	**730808**
39	Jaunpur	0	359446	40000	18000	12000	250000	200000	444880	200000	**1524326**
40	Jhansi	660000	513939	52500	48000	24000	900000	800000	461520	50000	**3509959**
41	Kannauj	0	40721	40000	36000	24000	500000	400000	50400	0	**1091121**
42	Kanpur Dehat	0	32318	7500	18000	12000	250000	200000	40000	100000	**659818**
43	Kanpur Nagar	660000	3440868	237500	48000	24000	1150000	1000000	3323520	250000	**10133888**
44	Kasganj	0	22817	12500	18000	12000	250000	200000	28240	0	**543557**
45	Kaushambi	0	68709	12500	18000	12000	250000	200000	85040	50000	**696249**
46	Kushinagar	0	47379	37500	18000	12000	250000	200000	405280	0	**970159**
47	Khiri	0	327451	12500	18000	12000	250000	200000	58640	50000	**928591**
48	Lalitpur	0	272832	30000	18000	12000	250000	200000	337680	50000	**1170512**
49	Lucknow	660000	10004647	927500	102000	60000	2250000	2000000	12827040	600000	**29431187**
50	Maharajganj	0	65994	12500	18000	12000	250000	200000	81680	0	**640174**
51	Mahoba	0	23399	12500	18000	12000	250000	200000	28960	50000	**594859**
52	Mainpuri	0	108719	12500	18000	12000	250000	200000	134560	50000	**785779**
53	Mathura	0	336928	32500	18000	12000	450000	400000	232400	100000	**1581828**
54	Mau	0	54230	12500	18000	12000	250000	200000	67120	50000	**663850**
55	Meerut	660000	1932817	147500	48000	24000	900000	800000	1589280	150000	**6251597**
56	Mirzapur	660000	264342	32500	30000	12000	450000	400000	192080	50000	**2090922**

Sl. No.	Name of District	BCTV Recurring (POL & other) FMR code 2.1.3.1	Drug & Consumable Support (Blood Bangs & Kits) FMR Code no. 6.2.7.2	Budget for VBD Camp to Blood Banks FMR Code no. 11.10.1 @ Rs. 2500/camps	Budget for Travel & communication expenses (fix) Rs. 1500/month for counselors & Rs. 1000/month for PRO BCTV FMR Code no. 11.10.1	E-rakt Kosh internet connectivity FMR Code no. 17.4	Equipment Maintenance (AMC/CMC & caliberation) FMR code 6.1.3.2.b @ Rs. 4.5 BCSUs & Rs. 2.5 lacs for Non BCSU blood banks	Blood Bank recurring (glass ware, reagents, office expences etc.) FMR code 5.3.3 @ Rs. 4.00 Lacs for BCSU & Rs. Rs. 2.00 Lacs Non BCSU blood banks	Budget allocation for free Blood to in house patient under govt. hospital/medical coleege FMR code 5.3.3	Blood storage recurring FMR code 5.3.3 @ Rs. 50,000/ BSU	Total Amount Release to District
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
57	Moradabad	660000	464332	32500	30000	12000	450000	400000	343440	50000	**2442272**
58	Muzaffarnagar	0	1757550	117500	18000	12000	450000	400000	668640	50000	**3473690**
59	Pilibhit	0	145821	17500	18000	12000	250000	200000	180480	50000	**873801**
60	Pratapgarh	0	151703	17500	18000	12000	250000	200000	187760	150000	**986963**
61	Raebareilly	0	539653	60000	18000	12000	250000	200000	667920	50000	**1797573**
62	Rampur	0	266756	30000	18000	12000	250000	200000	330160	0	**1106916**
63	Saharanpur	660000	628815	45000	30000	12000	450000	600000	391200	50000	**2867015**
64	Sambhal	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	**50000**
65	Sant Kabir Nagar	0	68515	12500	18000	12000	250000	200000	84800	100000	**745815**
66	SRN (Bhadohi)	0	24433	12500	18000	12000	250000	200000	30240	0	**547173**
67	Shahjahanpur	0	371274	42500	18000	12000	450000	400000	466960	50000	**1810734**
68	Shamli	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	**50000**
69	Shrawasti	0	8338	7500	18000	12000	250000	200000	10320	50000	**556158**
70	Siddharthnagar	0	145562	17500	18000	12000	250000	200000	180160	50000	**873222**
71	Sitapur	0	211039	25000	18000	12000	250000	200000	261200	50000	**1027239**
72	Sonbhadra	0	284919	32500	18000	12000	250000	200000	352640	50000	**1200059**
73	Sultanpur	0	759333	52500	18000	12000	450000	400000	583680	50000	**2325513**
74	Unnao	0	59143	12500	18000	12000	250000	200000	73200	50000	**674843**
75	Varanasi	660000	3328657	252500	66000	36000	1350000	1200000	2785280	150000	**9828437**
Total		**11880000**	**41800000**	**3800000**	**1818000**	**1068000**	**30050000**	**26200000**	**41600000**	**5900000**	**164116000**

अतः उपरोक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त तालिका अनुसार विभिन्न गतिविधियों हेतु धनराशि जनपद स्तर पर उपलब्ध धनराशि से सम्बन्धित मेडिकल कालेज/चिकित्सा संस्थान को प्राथमिकता के आधार पर स्थानान्तरित कराया जाना सुनिश्चित किया जाये।

वित्तीय वर्ष 2018–19 में कार्यक्रम सन्चालन हेतु दिशा–निर्देश निम्नवत है–

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 2.1.3.1– (बी0सी0टी0वी0 पी0ओ0एल0 एवं रेकरिंग)** के अन्तर्गत बी0सी0टी0वी0 पी0ओ0एल0 रू0 37,500/माह एवं रेकरिंग रू0 2500/माह तथा बी0सी0टी0वी0 पर कार्यरत मानव संसाधन के जनपद से बाहर के स्वैच्छिक रक्तदान शिविर में प्रतिभागिता हेतु (MO @ 350/ camp+LT & PRO @ 150/camp +LA & Driver @ 100/camp for 15 camp in a month) डी0ए0 आदि हेतु धनराशि का आवंटन किया गया है। ब्लड कलेक्शन एवं ट्रांस्पोटेशन वैन के वार्षिक बीमा हेतु आवश्यक धनराशि बी0सी0टी0वी0 पी0आ0एल0 मद से ही आवश्यकतानुसार व्यय किया जाना है।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 5.3.3– (ब्लड बैंक एवं ब्लड स्टोरेज यूनिट रेकरिंग तथा निःशुल्क रक्त की उपलब्धता हेतु)** – प्रदेश के प्रत्येक जिला एवं संयुक्त चिकित्सालय के रक्तकोष एवं चिकित्सा संस्थान के रक्तकोष को जिला/संयुक्त चिकित्सालय व चिकित्सा संस्थान में भर्ती मरीजों को रक्त की निःशुल्क उपलब्धता हेतु प्रोसेसिंग चार्जेज को निःशुल्क करते हुए आवश्यक धनराशि रक्तकोष को आवंटित की जा

रही है। निजी/ चैरीटेबल चिकित्सालय में भर्ती मरीजों हेतु प्रोसेसिंग चार्जेज पूर्ववत शासनादेश अनुरूप लागू होगा।

उक्त रेंकरिंग के अतिरिक्त रक्तकोष एवं बी0एस0यू0 की आवश्यकतानुसार केमिकल्स, रीजेन्ट, ग्लासवेयर, स्टेशनरी आदि एवं रक्तकोष में कार्यरत संविदा कर्मियों हेतु एन0एच0एम0 द्वारा समय–समय पर राज्य स्तर पर आयोजित समीक्षा बैठक, प्रशिक्षण आदि में प्रतिभागिता की दशा में प्राप्त निर्देशानुसार प्रतिभागियों के टी0ए0 एवं डी0ए0 का भुगतान तथा BSU द्वारा मदर ब्लड बैंक से रक्त यूनिट लाने हेतु व्यय का भुगतान भी किया जाना है।

- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 6.1.3.2.b– (उपकरण AMC/CMC, Calibration & Maintenance हेतु)** के अन्तर्गत उपकरणों के ए0एम0सी0/सी0एम0सी0 एवं कैलीब्रेशन तथा उपकरण मेनटेनैन्स हेतु स्वीकृत धनराशि (रक्त अवयव पृथकीकरण इकाई (बी0सी0एस0यू0) युक्त क्रियाशील राजकीय रक्तकोषों को रु0 4.5 लाख प्रति बी0सी0एस0यू0 की दर से एवं अन्य क्रियाशील राजकीय रक्तकोषों को रु0 2.5 लाख प्रति रक्तकोष की दर से) धनराशि का आवंटन किया गया हे। जिसके अन्तर्गत वारंटी के अंतर्गत आच्छादित उपकरणों के अतिरिक्त तथा पूर्व अनुबंध की अवधि समाप्ति के पश्च्यात उपकरणों का रख–रखाव सम्पादित कराया जाय साथ ही अनुबंधित की जा रही फर्म को तीन किस्तों में धनराशि (प्रथम अनुबंध के समय 50%, द्वितीय 06 माह की संतोषजनक सेवाओं की प्राप्ति पर 25% तथा तृतीय अनुबंध पूर्ण होने पर 25%) प्रदत्त करायी जाय।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 6.2.7.2– (किट्स एवं ब्लड बैग्स हेतु)** के अन्तर्गत ब्लड बैग व डॉयग्नोस्टिक किट का क्रय राज्य क्रय नियमानुसार/संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के अनुसार किया जायेगा। जिस हेतु अवमुक्त धनराशि मुख्य चिकित्सा अधिकारियों द्वारा प्राथमिकता के आधार पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को स्थानान्तरित कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 11.10.1– (स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन एवं परामर्शदाताओ तथा पी0आर0ओ0 के आउटरिच भ्रमण व संचार भत्ता हेतु)** के अन्तर्गत (स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन एवं परामर्शदाताओ तथा पी0आर0ओ0 के आउटरीच भ्रमण व संचार भत्ता हेतु) स्वैच्छिक रक्तदान शिविर के आयोजन एवं प्रोत्साहन हेतु स्वयं सेवी संस्था /शिक्षण संस्थान / विभागीय कार्यालय आदि में सम्पर्क हेतु ब्लड बैंक परामर्शदाता हेतु प्रतिमाह अनिवार्यतः 12 भ्रमण एवं संचार हेतु रू0 1500/माह तथा पी0आर0ओ0 बी0सी0टी0वी0 को अपने मण्डलीय जनपद के अन्तर्गत आने वाले समस्त जनपदों के राजकीय रक्तकोष में प्रति रक्तकोष प्रतिमाह एक भ्रमण कर रक्तकोष के परामर्शदाता एवं स्वैच्छिक संस्थान के प्रतिनिधियों के साथ रक्तदान शिविर के आयोजन एवं प्रोत्साहन हेतु बैठक ,जनपदीय विभागीय अधिकारियों से ब्लड बैंक परामर्शदाता के साथ सम्पर्क आदि हेतु रू0 1000/माह अनुमन्य है। रक्तकोष परामर्शदाता एवं पी0आर0ओ0 द्वारा प्रतिमाह एडवांस भ्रमण योजना तैयार कर प्रभारी से प्रमाणित कराते हुए तथा माह के अन्त में वास्तविक भ्रमण सूचना तैयार कर प्रभारी से सत्यापित कराकर स्टेट ब्लड सेल तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी/जिला स्वास्थ्य समिति को उपलब्ध कराया जायेगा। साथ ही यूपीसैक द्वारा स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के लक्ष्य अनुरूप आयोजन हेतु प्रदत्त बजट के अतिरिक्त आयोजित किये जा रहे स्वैच्छिक रक्तदान शिविरों के आयोजन हेतु रु 2500 प्रति शिविर की दर से (न्यूनत 40 यूनिट रक्त संग्रहण की दशा में 01 शिविर मान्य होगा) देय होगा।
- **एफ0एम0आर0 मद संख्या 17.4 – (ई–रक्तकोष हेतु इंटरनेट के लिए)** के अन्तर्गत रक्तकोष को रु 1,000.00 की दर से धनराशि ई–रक्तकोष के संचालन एवं दैनिक रिपोर्टिंग के लिए इंटरनेट की सुविधा प्राप्त करने हेतु उपलब्ध करायी जा रही है उक्त धनराशि ई रक्त कोष के संचालंन की दशा में ही व्यय की जानी है।

3. धनराशि का आवंटन मात्र, आपको व्यय करने के लिए प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रकिया का पालन करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृत के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि स्वीकृत की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा। जिस कार्यक्रम/मद में धनराशि स्वीकृत की गई है उसी कार्यक्रम/मद में व्यय उसी सीमा तक नियमानुसार किया जाये।

4. स्वीकृत मद का पुर्निविनियोग (re-appropriation) राज्य कार्यकारी समिति, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश की अनुमति के बिना कदापि न किया जाये। साथ ही साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि एक कार्यक्रम की धनराशि दूसरे कार्यक्रमों में स्थानान्तरित न की जाये। धनराशि के व्यय में यदि कोई अनियमितता होती है तो इसके लिये आप स्वयं उत्तरदायी होगें।
5. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाईयों के वित्तीय अभिलेख, कैशबुक, बैक बुक, लेजर, चेक इश्यू का रजिस्टर आदि लेखा पुस्तकों में सभी प्रविष्टियां समय से पूर्ण करायें साथ ही समयानुसार सत्यापन भी सक्षम अधिकारी करना सुनिश्चित करें।
6. जिला स्वास्थ्य समिति एवं समस्त इकाइयों के बैंक समाधान विवरण प्रत्येक माह के अन्त में तैयार करना सुनिश्चित करायें जिससे बैंक खातों तथा सोसाइटी एवं समस्त इकाइयों के लेखों में कोई भिन्नता न रहें।
7. आपके स्तर से समस्त इकाईयों को अग्रिम के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशियों के उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त करते हुए अपनी लेखापुस्तकों में समायोजन दर्शाना सुनिश्चित करें।
8. प्रत्येक माह का मासिक व्यय विवरण (एफ0एम0आर0) लेखापुस्तकों की प्रविष्टियों से मिलान कर तैयार किया जाये तथा यह भी सुनिश्चित कर लें कि प्रत्येक माह की एफ0एम0आर0 में दर्शायी गयी धनराशि एवं लेखापुस्तकों में प्रविष्टि की गयी धनराशि में मदवार कोई अन्तर न रहें।
9. व्यय से सम्बन्धित समस्त लेखाबहियॉ, बिल वाउचर्स व अन्य अभिलेखों को अपने स्तर पर सुरक्षित रखें एवं नियुक्ति मासिक कान्करेन्ट आडिटर, स्टेटच्यूरी आडिटर, महालेखाकार की आडिट एवं सक्षम निरीक्षण अधिकारी हेतु उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत उपलब्ध कराये गये संशोधित आपरेशनल गाइडलाइन्स फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट में दिये गये दिशा निर्देशों एवं प्रकिया का समयबद्ध पालन समस्त स्तरों पर किया जाना सुनिश्चित करें।
11. भारत सरकार के नियंत्रक/महालेखा परीक्षा द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, के परफारमेन्स आडिट रिपोर्ट में उठाई गयी मुख्य आपत्तियों के परिप्रेक्ष्य में मुख्य सचिव, महोदय उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशों के अन्तर्गत गठित समिति की दिनांक 01.06.2012 को सम्पन्न हुई बैठक में समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों की प्रति पत्र संख्या SPMU/NRHM/ACCOUNT/490-8 दिनांक 13.06.2012 के द्वारा करायी गयी है, को संज्ञान में लेना सुनिश्चित करें।
12. उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से शत–प्रतिशत् अनुपालन सुनिश्चित किया जाये। समयान्तर्गत अनुपालन न होने की स्थिति में सम्बन्धित अधिकरियों के विरूद्ध नियमानुसार विभागीय अनुशासनात्मक एवं दण्डात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन को सन्दर्भित कर दिया जाएगा।

भवदीय,

(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्र संख्याः एस0पी0एम0यू0/Blood Ser./fund transfer/ 2018-19/ 6769-75(11) तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ, उ0प्र0।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षां, लखनऊ, उ0प्र0 को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अवमुक्त की गयी धनराशि को व्यय करने हेतु जनपदों को दिशा–निर्देश प्रेषित करने का कष्ट करें।
4. कुलपति/प्रधानाचार्य/निदेशक/प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, सम्बंधित चिकित्सा संस्थान जिला चिकित्सालय को एस आशय से कि सम्बंधित को मुख्य चिकित्साधिकारी से समन्वय स्थापित कर बजट का

स्थानांतरण सुनिश्चित करते हुये सम्बंधित गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

5. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
6. निदेशक,उपचार,स्वास्थ्य महानिदेशालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि अवमुक्त की गयी धनराशि को व्यय करने हेतु जनपदों को दिशा–निर्देश प्रेषित करने का कष्ट करें।
7. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त मण्डलीय परियोजना प्रबन्धक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,उत्तर प्रदेश।
9. समस्त रक्तकोष प्रभारी, राजकीय ब्लड बैंक, उ0प्र0।
10. महाप्रबन्धक,एम0आई0एस0,एस0पी0एम0यू0,एन0एच0एम0 को इस आशय से कि पत्र की प्रति एन0एच0एम0 की वेबसाइट– www.upnrhm.gov.in पर अपलोड करने का कष्ट करें।
11. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जिला लेखा प्रबन्धक,राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ0प्र0 को ई–मेल के माध्यम से प्रेषित।

(डा0 ए0बी0 सिंह)
उपमहाप्रबन्धक, ब्लड सेल